ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष - 5 / अंक - 57

सहयोग शुल्क - रु. 1 / सितंबर - 2021

दिव्यांग सेतु

संपादक - संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

भारत के विकास में हरएक
दिव्यांग की भागीदारी जरुरी है ।
- प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

दिव्यांगों को हमेशा
साथ और सम्मान दें ।
- मुख्यमंत्री विजयभाई रुपाणी (गुजरात राज्य)

दिव्यांगों का विकास
देश का भी विकास है ।
- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

"एक सहि सोच जीवन में लाती है सकारात्मक बदलाव"

जीवन के हरएक कदम पर सही सोच को अपनाना यह एक ऐसी कला है जो जीवन को संतुष्टी और खुशीयों से सहज ही भर देती है । जीवन में कीतनी भी बाधाए, मुश्कीलें क्युं न आये मगर हमें उसे स्वीकार करते हुए, लडते हुए आगे बढते रहेना है । आगे बढना ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहीए । इश्वर कभी कुछ कमीयां देते भी है तो हमे उस कमीयों को अपनी कामयाबी में बदलना होगा और इसके लिए सबसे पहेले जरुरी है सही सोच । हमारे विचार जीतने तेज एवं बुलंद होंगे उतने ही ज्यादा बल से हम जीवन के हरएक पहेलु से आगे बढते हुए मंजिल तक पहुंच सकेंगे । इसलिए जीवन में कभी कुछ चुनौंतीया का सामना करना पडे तो गभराना मत, बस अपने अंदर उम्मीद का एक दीपक जलाये रखना । क्युंकी

"एक जलता हुआ दीपक हजारों,
लाखो दीपक को जलाने की क्षमता रखता है...."

आप सभी को निवेदन है की **"दिव्यांग सेतु"** पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु आपके आसपास दिव्यांगजनो के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग की जानकारी का ब्यौरा भी आप हमें भेज सकते है।

आओ, आप भी दिव्यांगजनो के इस सेवायज्ञ में हमारा साथ दे.....

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

सितंबर - 2021, पृष्ठ संख्या - 16
वर्ष - 5 अंक - 57

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

दिव्यांगों को लिखित परीक्षा के आयोजन में दी जाने वाली सुविधाएं

29 अगस्त 2018 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक कार्यालय ज्ञापांक जारी किया गया। इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में अंकित बेंचमार्क दिव्यांगों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन संबंधी दिशानिर्देश का उल्लेख किया गया है। यह दिशानिर्देश विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश के आधार पर तैयार की गई है एवं दिनांक 26 फरवरी 2013 को पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देश का एक संशोधित रुप है। इसे माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा भी अनुमोदन प्राप्त है।

इसमें यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक मंत्रालय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली सभी भर्ती एजेंसियां, शैक्षणिक-परीक्षा निकाय जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग (यूजीसी), रेलवे भर्ती बोर्ड, सभी राष्ट्रीय संस्थान एवं भारतीय पुनर्वास परिषद इत्यादि इन दिशा निर्देशों का ईमानदारी पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

समिति के द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजन संबंधित दिशा निर्देश की मुख्य बिंदु निम्नलिखित है -

1. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए पूरे देश में एक समान और व्यापक नीति होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाएं एवं नियमित परीक्षाओं के लिए अलग-अलग मानदंड तय करने की जरुरत नहीं है।

2. स्क्राइब या लेखक-पाठक-प्रयोगशाला सहायक की सुविधा -

दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट), 2016 में अंकित 40त्न अथवा अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति यदि उनकी लिखने की गति सीमित है, तो उन्हें स्क्राइब अथवा लेखक-रीडर-प्रयोगशाला सहायक की सुविधा मुहैया कराना चाहिए। द्रष्टिबाधित, गतिविषयक दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित) और सेरेब्रल पाल्सी के मामले में व्यक्ति के द्वारा जरुरत बताए जाने पर स्क्राइब आदि की सुविधा दी जाएगी। परंतु, अन्य श्रेणी के दिव्यांगता के मामले में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार किसी अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की पुष्टि किए जाने पर कि, व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक सीमा है और परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब अथवा लेखक आवश्यक है, यह सुविधा दी जा सकेगी।

उम्मीदवार को अपने स्वयं के लिए स्क्राइब-पाठक-प्रयोगशाला सहायक को चुनने का विवेकाधिकार होना चाहिए अथवा इसके लिए परीक्षा निकाय से अनुरोध करना चाहिए। परीक्षा निकाय परीक्षा में आवश्यकता के अनुसार जिला-मंडल-राज्य स्तर पर पैनल बनाने के लिए लेखक-पाठक-प्रयोगशाला सहायक की पहचान भी कर सकता है।

एसे मामलों में उम्मीदवारों को परीक्षा से 2 दिन पहेले स्क्राइब आदि से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ताकि, उम्मीदवारों को जांच और सत्यापन करने का मौका मिल सके कि स्क्राइब उपयुक्त है अथवा नहीं।

परीक्षा निकाय स्क्राइब-रीडर-प्रयोगशाला सहायक प्रदान करता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, लेखक पाठक की योग्यता हमेशा मेट्रिक या उससे ऊपर होनी चाहिए।

यदि उम्मीदवार को स्क्राइब लाने की अनुमति दी जाती है तो स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक कदम नीचे होनी चाहिए। स्वयं के लेखक-पाठक के लिए यह बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के स्क्राईब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। आपात स्थिति में स्क्राइब-रीडर-प्रयोगशाला सहायक में किसी भी परिवर्तन को समायोजित करने में भी लचीलापन होनी चाहिए। उम्मीदवारों को विशेष रुप से भाषाओं के लिए अलग-अलग पेपर लिखने के लिए

एक से अधिक स्क्राइब-रीडर लेने की अनुमति दी जानी चाहिए । हालांकि, प्रति विषय केवल एक ही लेखक हो सकता है ।

स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और फॅार्म भरते समय आवश्यक विवरण दर्ज किया जाना चाहिए ।

3. प्रतिपूरक अथवा अतिरिक्त समय दिए जाने की सुविधा -

स्क्राइब आदि की सुविधा के अलावे इन्हें प्रतिपूरक अथवा अतिरिक्त समय दिए जाने चाहिए और यह उस व्यक्ति के लिए परीक्षा के प्रति धंटे 20 मिनट से कम नहीं होना चाहिए । बेंचमार्क दिव्यांगता वाले सभी उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा का लाभ नहीं उठाने के लिए 3 घंटे की अवधि की परीक्षा के न्यूनतम 1 घंटे के प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जा सकती है । यदि परीक्षा की अवधि 1 घंटे से कम हो तो प्रतिपूरक समय की अवधि की अनुमति प्रोराटा आधार पर दी जानी चाहिए । अतिरिक्त समय 5-00 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 5 के गुणांक में होना चाहिए ।

4. मोड चुनने का विकल्प -

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को जहां तक संभव हो परीक्षा देने के लिए मोड चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए । जो ब्रेल या कंप्यूटर में या बडे प्रिंट में या जहां तक की उत्तर रिकोर्ड करके भी हो, क्योंकि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र को बडे प्रिंट, ई पाठ या ब्रेल में परिवर्तित करने के लिए आसानी से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं और ब्रेल को अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में भी परिवर्तित कर सकते हैं ।

यदि बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को कंम्यूटर सिस्टम पर परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें 1 दिन पहले कंप्यूटर सिस्टम की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए । ताकि, सोफ्टवेयर सिस्टम में कोई समस्या होने पर उसे ठीक किया जा सके । परीक्षा देने के लिए स्वयं के कंप्यूटर-लैपटोप के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । हालांकि, कंप्यूटर आधारित परीक्षा जैसे कि कीबोर्ड, अनुकूलित माउस आदि के लिए सहायक उपकरण की अनुमति दी जानी चाहिए ।

5. सहायक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति -

उम्मीदवार को टोकिंग केलकुलेटर जैसे सहायक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए जैसे टोकिंग केलकुलेटर (यदि परीक्षा देने के लिए केलकुलेटर की अनुमति है), टेलर फ्रेम, ब्रेल स्लेट, अबेकस, ज्योमेट्री किट, ब्रेल मापने वाला टेप, संचार चार्ट और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों जैसे संवर्धन संचार उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

6. वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रदान करना -

द्रष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए द्रश्य इनपुट की आवश्यकता वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न देने की मौजूदा नीति के अलावा विवरणात्मक प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रदान किए जाने चाहिए ।

जहां तक संभव हो परीक्षा निकाय को ब्रेल या ई पाठ में पठन सामग्री या खुली किताब परीक्षा के लिए उपयुक्त स्क्रीन रीडिंग सोफ्टवेयर वाले कंप्यूटर भी उपलब्ध कराना चाहिए । इसी तरह ओनलाइन परीक्षा सुलभ प्रारुप में होनी चाहिए । अर्थात, वेबसाइट, प्रश्न पत्र और अन्य सभी अध्ययन सामग्री । इस संबंध में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुलभ होनी चाहिए ।

7. उपयुक्त बैठने की व्यवस्था -

परीक्षा निकाय को उम्मीदवारों द्वारा चुने गए प्रारुप में प्रश्न पत्रों की उपलब्धता के साथ-साथ परीक्षा देने के लिए उपयुक्त बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए । जहां तक संभव हो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परीक्षा भूतल पर आयोजित की जानी चाहिए । परीक्षा केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होना चाहिए ।

8. दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वीकृति -

किसी भी स्थान पर सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र पूरे देश में स्वीकार किया जाना चाहिए ।

रेल मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगों के लिए यात्री किराए में दी जाने वाली छुट

आई.आर.सी.ए., रेल मंत्रालय, भारत सरकार की कोचिंग दर सूची संख्या 26, भाग 1, वोल्यूम 2 में दिव्यांगों के विभिन्न श्रेणियों के लिए यात्री रेल किराए में दी जाने वाली रियायतें-कन्सेशन का उल्लेख किया गया है । हालांकि, समय-समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहे हैं ।

15 जून 2016 से रेल मंत्रालय के द्वारा अस्थि दिव्यांग / पाराप्लेजिक / बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रेल आरक्षण के नियमों में संशोधन किया गया है- 'अस्थि दिव्यांग / पाराप्लेजिक / बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति जो किसी भी प्रयोजन के लिए मार्गरक्षी अथवा एस्कोर्ट के बिना यात्रा नहीं कर सकते हैं । हालांकि, इन्हें मार्गरक्षी-एस्कोर्ट के साथ या उसके बिना रियायती टिकट बुक करने की अनुमति होगी ।' अर्थात, अब कोई अस्थि दिव्यांग / पाराप्लेजिक-बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति दोनों स्थितियों में रियायत का लाभ ले सकेंगे ।

1. यह एक मार्गरक्षी अथवा एस्कोर्ट के साथ यात्रा कर सकते हैं ।

2. बिना किसी मार्गरक्षी अथवा एस्कोर्ट के भी एक टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं । पहले इन दिव्यांगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी । अगर वे अकेले यात्रा करना चाहे तो रेलवे के द्वारा उनकी रियायती टिकट बुक नहीं की जाती थी ।

रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के 2018 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 4, नई दिल्ली दिनांक 12 जनवरी 2018 के तहत नेत्रहीन, मूक और बधिर शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है । अब यहां 'नेत्रहीन' के स्थान पर 'पूर्ण रुप से द्रष्टिबाधित व्यक्ति' जोडा गया है । उसी प्रकार, 'मूक और बधिर' के स्थान पर 'पूर्ण रुप से श्रवण एवं बाक् दोष युक्त व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमाएं)' जोडा गया है । वही 'शारीरिक रुप से अक्षम' के स्थान पर 'दिव्यांगजन' शब्द का उपयोग किया जाएगा । यह संशोधन 1 फरवरी 2018 से कार्यान्वित किया जा चुका है । अर्थात, अब आंशिक रुप से नेत्रहीन अथवा मूक बधिर व्यक्ति रेल किराए में छूट प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों को रेल किराए में दी जाने वाली छूट

1. पूर्ण रुप से द्रष्टिबाधित व्यक्ति जो किसी भी प्रयोजन से अकेले अथवा एक मार्गरक्षी अथवा एस्कोर्ट के साथ यात्रा कर रहे हों -

इन्हें प्रथम वातानुकूलित एवं वातानुकूलित 2-टियर श्रेणी में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है तथा वातानुकूलित 3-टियर, वातानुकूलित कुर्सी यान, शयनयान अथवा दूसरे दर्जे के किराए में 75 प्रतिशत की छूट देय है । राजधानी एवं शताब्दी ट्रेनों के वातानुकूलित 3-टियर तथा वातानुकूलित कुर्सी यान में 25 प्रतिशत की रियायत होगी । मासिक एवं सीजन टिकटो (एमएसटी एवं क्यूएसटी) में भी 50 प्रतिशत की छूट देय है । एक मार्गरक्षी-एस्कोर्ट भी उपर्युक्त रियायत हेतु मान्य होंगे । पांच वर्ष से कम आयु के नेत्रहीन बच्चे के साथ यात्रा कर रहे मार्गरक्षी उपरोक्त रियायत के लिए पात्र हैं ।

2. अस्थि दिव्यांग/पाराप्लेजिक व्यक्ति जो मार्गरक्षी अथवा एस्कोर्ट के बिना यात्रा नहीं कर सकते और किसी भी प्रयोजन से यात्रा कर रहे हो -

अस्थि दिव्यांग/पाराप्लेजिक व्यक्तियों को रेल किराए में दिए जाने वाले वे सभी छूट प्राप्त हैं जोकि, पूर्ण रुप से द्रष्टिबाधित व्यक्तियों को देय है । इन्हें अब मार्गरक्षी के साथ या उसके बिना भी रियायती टिकट बुक करने की अनुमति है ।

अस्थि दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ संबंधित अनुकूलित चेयर, व्हीलचेयर, हस्तचालित ओटो ट्राई साइकिल, मोटर चालित तिपहिया मोपेड इत्यादि अपने सहयात्री की सहमति से इन्हें सभी दर्जे में निःशुल्क ले जा सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें फोल्ड किया जा सके । यदि सुलभ होने की स्थिति में इन्हें ब्रेकयान में भी नि-शुल्क ले जाया जा सकता है ।

3. बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति जो मार्गरक्षी अथवा एस्कोर्ट के बिना यात्रा नहीं कर सकते और किसी भी प्रयोजन से यात्रा कर रहे हो -

बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को रेल किराए में दिए जाने वाले वे सभी छूट प्राप्त हैं जोकि, पूर्ण रुप से द्रष्टिबाधित व्यक्तियों को देय है । इन्हें भी अब मार्गरक्षी के साथ अथवा अकेले का टिकट बुक कराने की अनुमति दी गई है ।

4. पूर्ण रुप से श्रवण एवं बाक् दोष युक्त व्यक्ति (एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं), किसी भी प्रयोजन से अकेले अथवा किसी मार्गरक्षी के साथ यात्रा कर रहे हों -

इन्हें स्लीपर, द्वितीय श्रेणी एवं प्रथम श्रेणी के टिकट पर यात्री किराए में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है । साथ ही, मासिक एवं सीजन टिकट (एमएसटी एवं क्यूएसटी) की खरीद पर 50 प्रतिशत की छूट देय है । यह रियायत दिव्यांग के साथ यात्रा कर रहे एक मार्गरक्षी अथवा एस्कोर्ट को भी मिलेगी ।

5. थैलेसीमिया व्यक्ति/रोगी जो उपचार/आवधिक जांच के लिए अकेले अथवा किसी मार्गरक्षी के साथ यात्रा कर रहे हों - इन्हें प्रथम वातानुकूलित एवं वातानुकूलित 2-टियर श्रेणी के टिकटों में 50 प्रतिशत की छूट तथा वातानुकूलित 3-टियर, एसी चेयर कार, प्रथम श्रेणी, स्लीपर एवं द्वितीय श्रेणी के टिकटों के किराए में 75 प्रतिशत रियायत देय है । साथ ही, यह रियायत व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे उसके मार्गरक्षी को भी मिलेगी ।

6. सीवियर और मोडरेट हीमोफीलिया व्यक्ति/रोगी जो उपचार/आवधिक जांच के लिए अकेले अथवा किसी मार्गरक्षी के साथ यात्रा कर रहे हों इन्हें वातानुकूलित 3-टियर, एसी चेयर कार, प्रथम श्रेणी, स्लीपर तथा द्वितीय श्रेणी के टिकटों पर 75 प्रतिशत की छूट प्राप्त है । यह रियायत व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे उसके एक मार्गरक्षी को भी मिलेगी ।

7. असंक्रामक कुष्ठ रोगी जो उपचार/आवधिक जांच के लिए यात्रा कर रहे हों - इन्हें प्रथम श्रेणी, स्लीपर एवं द्वितीय श्रेणी में के टिकटों पर 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है । साथ ही, यह रियायत व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे उसके एक मार्गरक्षी को भी मिलेगी ।

8. सिकल सेल एनीमिया व्यक्ति/रोगी उपचार/आवधिक जांच के लिए यात्रा कर रहे हों - इन्हें वातानुकूलित 2-टियर, वातानुकूलित 3-टियर, एसी चेयर कार एवं स्लीपर श्रेणी के टिकटों पर 50 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाती है ।

रियायत संबंधित सामान्य नियम

1. सभी रियायती किराए की गणना गाडियों के टाइप, जिसमें यात्री यात्रा करते हैं जैसे पैसेंजर ट्रेन आदि की बजाय, मेल/एक्सप्रेस गाडियों के किराए के आधार पर की जाएगी ।

2. रियायत केवल मूल किराए के आधार पर देय होगी । अन्य प्रभार जैसे सुपरफास्ट शुल्क, रिजर्वेशन शुल्क इत्यादि पर कोई छूट देय नहीं होगी । हालांकि, राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाडियों में रियायत कुल प्रभारों (खान पान सहित) पर देय होगी ।

3. एक विशेष व्यवस्था के रुप में मासिक एवं त्रैमासिक टिकट (एमएसटी एवम क्यूएसटी) पर राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित गाडियां जिनकी अलग किराया संरचना है, के लिए रियायत लागू नहीं होगी ।

4. यदि कोई व्यक्ति टिकट लिए बगैर अथवा उचित टिकट लिए बगैर अथवा उचित टिकट के बिना गाडी में चढता है अथवा रियायती टिकट पर अपनी यात्रा एक्सटेंड करता है अथवा रियायती टिकट को उच्च श्रेणी में परिवर्तित करता है तो उसे गाडी के अंदर कोई रियायत प्रदान नहीं की जाएगी, भले ही वह नियमानुसार रियायत का पात्र हो । अतः यात्रा से पूर्व यथोचित रियायत टिकट की व्यवस्था टिकट काउंटर अथवा ओनलाइन के माध्यम से अवश्य कर लें ।

विश्व मूक बधिर दिवस 26 सितम्बर World Deaf-Dumb Day

विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाया जाता है ?

हर वर्ष 26 सितम्बर को विश्व मूक बधिर दिवस मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में यह विश्व मूक बधिर सप्ताह के रुप में अधिक जाना जाता है । यह सितम्बर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है । यह सितम्बर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है । विश्व बधिर संघ (डब्ल्यूएफडी) ने वर्ष 1958 से 'विश्व बधिर दिवस' की शुरुआत की । इस दिन बधिरों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरुकता उत्पन्न करने के साथ-साथ समाज और देश में जागरुकता उत्पन्न करने के साथ-साथ समाज और देश में उनकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जाता है ।

बधिर दिवस का उद्देश्य :

बधिर दिवस का उद्देश्य जो की अब एक साप्ताह के रुप में मनाया जाने लगा है, यह है कि बधिरों में स्वस्थ जीवन, स्वाभिमान, गरिमा इत्यादि भावनाओं को बल मिल सके ।

इसका एक उद्देश्य साधारण जनता तथा संबंधित सत्ता का बधिरों की क्षमता, उपलब्धि इत्यादि की तरफ ध्यान आकर्षित करना भी है । इसमें बधिरों के द्वारा किए गये कार्यों की सराहना की जाती है तथा उसे प्रदर्शित किया जाता है ।

कई संगठन जैसे स्कूल, कोलेज, अनन्या संस्थाएं इसके लिए लोगों में बधिरपन हेतु जागरुकता बढाने का कारया करती हैं । कई आयोजन किए जाते हैं जो की बधिर की समस्याओं इत्यादि से संबंध रखती है ।

संचार की समस्या :

हालाँकि चिन्ह भाषा हजारों वर्षों से अस्तित्व में है फिर भी आज भी साधारण लोगो से इस भाषा में संचार स्थापित करना एक चुनौती ही है । इस भाषा का अध्यन एवं अध्यापन दोनो ही अति आवश्यक है जिससे की बधिरों की संस्कृति, समस्याएं इत्यादि में संचार किया जा सके ।

अंतरराष्ट्रीय बधिर साप्ताह :

☞ सर्वप्रथम हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह दिवस बधिरों को सांत्वना देने के लिए नहीं बल्कि उनके जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए मनाया जाता है।

☞ बधिर होना किसी प्रकार की अपंगता या कमजोरी नही है। सुनने की क्षमता में कमी वाले लोग सही क्षमता वालों से ज्यादा बुद्धिमान होते है बस अंतर इतना होता है कि इनकी संचार का माध्यम अलग होता है।

☞ इनके लिए हम किसी भी प्रकार के नए आयोजन अपने क्षेत्रों में भी कर सकते है । किसी भी प्रकार के सूचनाएं जो इनसे संबंधित हो उसे सोशल मीडिया के द्वारा बता सकते हैं कई लुभावने पोस्टर्स बना सकते है या कई अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं।

☞ बधिरों के ज्ञान को बढावा देते हुए कई वर्कशोप या सभा का आयोजन कर सकते हैं जिसमें कि इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को साधारण जनता को भी बताया जा सके।

☞ बधिरों को तकनीकी से अवगत करा सकते हैं जिससे की उनका जीवन पहले से ज्यादा सुगम व सरल हो सके।

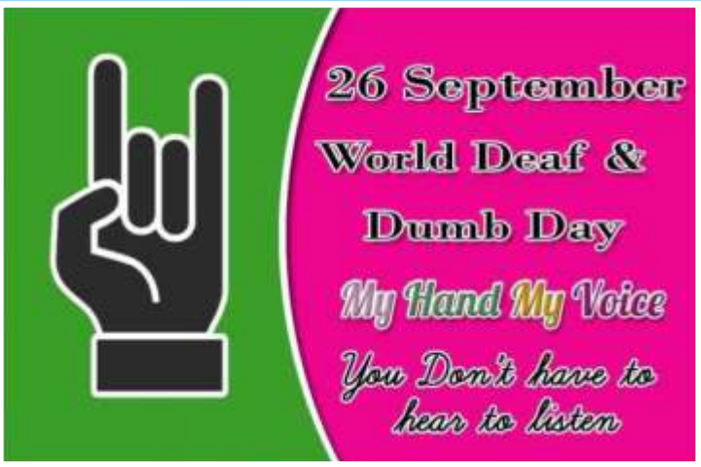

द्रष्टिबाधित अक्षय नेगी की अनोखी पहल

जिला किन्नौर के दुर्गम क्षेत्र रुपी गांव निचार खंड के अक्षय कुमार नेगी पिछले एक वर्ष से कोरोना काल में भी ग्रामीणों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से योग का अभ्यास करवा रहें हैं । अक्षय कुमार नेगी खुद द्रष्टि बाधिता से दिव्यांग है ।

दिव्यांग शिक्षक के जज्बे को सलाम

निकटवृति ग्राम मानकोट निवासी श्री भरत राम शर्मा जो कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक है । वैशाखियों के सहारे चलते हुए तीन किलोमीटर का सफर कर विद्यालय में पहुँचते है । कडी मेहनत, अनुशासन व आपसी सामंजस्य के कारण अपनें विद्यालय में आज चार सौ से ज्यादा बच्चे पढनें के लिए आते है ।

वोइस टू दिव्यांग

किसी योद्धा से कम नहीं है जम्मू के छन्नी में रहने वाली दिव्यांग जसप्रीत कौर

जिंदगी से हार मानने वालों के लिए प्रेरणा स्त्रोत

हौंसले बुलंद हो तो कोई भी बाधा आपको आगे बढने से नहीं रोक सकती। फिर चाहे व्यक्ति का शरीर ही क्यों न हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं मंदिरों के शहर जम्मू के छन्नी हिम्मत में रहने वाली दिव्यांग जसप्रीत कौर की जिसे लोग प्यार से प्रीति पुकारते हैं। 35 वर्षीय जसप्रीत शारीरिक रुप से दिव्यांग है। वह बैठ भी नहीं सकती। जसप्रीत कभी स्कूल नहीं गई लेकिन वह पढ-लिख सकती है। उसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। शरीर का संपूर्ण विकास तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने उन्हें तेज दिमाग दिया है। यही कारण है कि वह आज सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत है।

एक ही जगह लेटे हए वह वे सभी कार्य कर रही है, जो आम आदमी की सोच से परे हैं। जसप्रीत ने मोहल्ला नहीं देखा, पर सारे शहर की खबर रखती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर जहां उनका ज्ञान बढा है। कोरोना काल में मुश्किलें से गुजरी जसप्रीत का जन्म 8 मार्च को हुआ था। जान-पहचान वाले ही नहीं मुहल्ले के लोग भी उसे जन्मदिन पर बधाइयां देने पहुंचते हैं। वह वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बखूबी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उनको फोलो करते है। रोजाना कोई न कोई उनसे मिलने भी पहुंचता है। नन्हे हाथों वाली प्रीति को देखकर कोई भी थोडी देर के लिए अपने होश गंवा बैठते हैं क्योंकि उन्हे देखकर कोई सोच ही नहीं सकता कि वह 35 वर्ष की हैं।

जीना तो है उसी का, जिसने यह राज जाना। है काम आदमी का, औरों के काम आना... गीत को गुनगुनाते हुए जसप्रीत कहती है कि उसे खुशी है कि दिव्यांग होते हुए भी वह एसे बहुत से काम कर पा रही है जो आम लोग भी नहीं करते। घर में लेटे-लेटे ही फोन से कई दिव्यांग को रास्ता दिखाती है। ऊधमपुर की रहने वाली एक बच्ची को उसने अपने प्रयासों से रुपनगर में नेत्रहीन स्कूल में दाखिला दिलाया। लखनऊ की निधि का हौसला बढाते हुए जसप्रीत ने उसे लैपटोप पर काम करने को ही प्रेरित नहीं किया बल्कि स्टार मेकर पर गीत गाकर उसकी आवाज को भी बुलंद किया।

पिता एसआरटीसी से सेवानिवृत्त हैं

प्रीति के पिता मनमोहन सिंह जम्मू-काश्मीर पथ परिवहन निगम (एसआरटीसी) में कंडक्टर थे । करीब दो साल पहले ही वह सेवानिवृत हुए । प्रीति का एक छोटा भाई है । छह वर्ष पहले मां की मृत्यु हो चुकी है । तब से प्रीति को जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया । जिंदगी और मौत से जूझते हुए वह कई बार हतोत्साहित हुई, लेकिन फिर हौसला बुलंद कर आगे बढती गई । वह अपने अंदाज में जिंदगी को जीने लगी ।

अब लोगों को रास्ता दिखा रहीं

सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के बाद कई संस्थाएं, समाज सुधारक व अच्छे लोग उनसे जुडे । प्रीति अपने नन्हें हाथों से मालाएं भी बनाती है । इतना ही नहीं उसे लिखने का भी शौक है । उसके छोटी-छोटी कविताएं भी लिखी है । कई कार्यक्रमो में वह भाग लेती है और इन कविताओं को अपने अंदाज में पेश करती है । वह कोलकाता, राजस्थान, दिल्ली में भी कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखा चुकी है । जसप्रीत कुछ संस्थाओं के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा बन चुकी हैं ।

गरीब परिवार से जसप्रीत

जसप्रीत एक मध्यम वर्गीय परिवार से है । घर परिवार का खर्च भी मुश्किल से चलता है । कुछ दानी पुरुष व संस्थाएं कभी-कभार जसप्रीत की मदद को हाथ बंटाते रहते हैं । चलते-फिरने से लाचार जसप्रीत कहती है । कि कोरोना महामारी के बीच वर्ष 2020 के सात-आठ महीने बहुत मुश्किल भरे रहे । वह घर में बंद कमरे में रहीं । घर का भी सिर्फ एक सदस्य ही कमरे के अंदर आता था ताकि वह सुरक्षित रहें । कहीं से कोई वायरस उस तक न पहुंचे । अब हालात सामान्य होने और जम्मू-कश्मीर में 4 जी सेवा बहाल होने से जसप्रीत बहुत खुश हैं । अब वह फोन पर लगी रहती हैं ।

स्टार मेकर पर बनाया पार्टी रुम

जसप्रीत स्टार मेकर पर गाने भी गाती है । उसका पसंदीदा भजन ओ पालन हारे, निर्गुण और न्यारे, तुझ बिन अपना कोई नहीं है । उसका कहना है कि स्टार मेकर पर 100 से ज्यादा दोस्त बन चुके हैं । उसने इस पर अपना पार्टी रुम आओ गाओ मस्त रहो बनाया है जो किसी भी हाल में खुश रहने को प्रेरित करता है । कोरोना काल से वह स्टार मेकर पर सक्रिय है । वह कहती हैं कि इंसान को कोई हार नहीं माननी चाहिए । शरीर से दिव्यांग कोई मायने नहीं रखता । इंसान का दिमाग और भावना ठीक होनी चाहिए ।

नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित डॉक्टर हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फॉर मेंटली डिसेबल्ड द्वारा मनो दिव्यांग बच्चों के लिए रसोई शो ऑनलाइन वर्क शॉप का आयोजन किया गया

नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित डॉक्टर हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फॉर मेंटली डिसेबल्ड - अहमदाबाद द्वारा चलाएं जाने वाले ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत 1 सप्ताह के लिए मनो दिव्यांग बच्चों के लिए रसोई शो ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस रसोई शो ऑनलाइन वर्कशॉप में मनो दिव्यांग बच्चों को गैस या ओवन के उपयोग किए बगैर खाना बनाने की ट्रेनिंग दी गई। यह इनस्टंट रेसिपी सिखाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आकस्मिक समय, परिस्थिति में बच्चें खुद खाना बनाकर खा सकें। इस वर्कशॉप में रोटी रैप, लेमन जूस, कोल्ड कॉफी, खाखरा पिज़्ज़ा, पानी सैंडविच, भाखरी पिज़्ज़ा, जाम चॉकलेट पुडिंग, ब्रेड केक आदि रेसिपीज का समावेश किया गया था। रेसिपी बनाने के लिए जरूरी सामग्री का लिस्ट बच्चों के माता-पिता को आगे से ही दिया जाता था। इस ऑनलाइन वर्कशॉप में मनो दिव्यांग बच्चों को शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग द्वारा खाना बनाने का सिखाया जाता था और वही खाना बच्चे उनके परिवार के साथ बैठकर खाते थे। यह रसोई शो ऑनलाइन वर्कशॉप का अनुभव अलग और खास बना रहा। बच्चों और उनके माता-पिता को भी इस वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखने मिला।

गायत्री विकलांग मानव मंडल की ओर से कोरोना महाकाल में दिव्यांग भाई-बहनों के बच्चों की पढाई चालू रखने के लिए मदद की गई

गायत्री विकलांग मानव मंडल की ओर से कोरोना महाकाल में दिव्यांग भाई-बहनों के बच्चों की पढाई चालू रखने के लिए सहाय की गई । उनके पास धंधा रोजगार सब बंद हो गए थे नौकरी धंधा छूट गए थे इसीलिए उन सभी की यह विनंती थी कि संस्था की ओर से हमारे बच्चों को नोटबुक आदि का आयोजन किया जाए । दाताओं की ओर से मिला हुआ दान उसका सदुपयोग किया गया । जिन दिव्यांग भाई-बहनों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिक्षण हेतु के लिए पेंसिल, रबड़, कंपास, नोटबुक आदि चीजों की किट बनाकर बच्चों को बांट दिया गया और साथ में जिन बच्चों के माता-पिता नहीं थे वे सब बच्चों को स्कूल ड्रेस का वितरण दिया गया । सब बच्चे खुश हो गए । हमारी संस्था का लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज्यादातर बेटियों को स्कूल ड्रेस नोटबुक दफ्तर किट बनाकर दिया गया । जिन लड़कियों के माता-पिता नहीं है उनको चेक का वितरण किया जाएगा । श्रीमान धर्मेंद्र भाई के हाथों से नोटबुक वितरण किया गया और संस्था के प्रमुख श्रीमान सुनील भाई के हाथों से स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया । सब बच्चे भोजन करके बाद में जन गण मन का गीत गाकर अपने घर गए । श्रीमती रुकमणी देवी ने बताया लगभग 100 बच्चों को फ्री में किट और ड्रेस का वितरण किया गया । दानवीर दाताओं ने भी साथ सरकार दिया श्रीमान शिव लाल जी गोयल संस्था के उप प्रमुख बहुत साथ सहकार दिया । श्रीमती रुकमणी देवी ने बताया बच्चे बहुत खुश हो गए । जिन बच्चों के माता-पिता नहीं है उनको चेक भी दिया जाएगा ।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर